न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प बयाना

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 13/2018 अन्तर्गत धारा 223 आर0टी0एक्ट0
आर.सी.एम.एस. संख्या :– 2018/00054

उनवान

1. कप्तान
2. देवी सिंह

} पिसरान सकटुआ जाति जाट निवासी माडापुरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. रामकिशन पुत्र पतरे
2. श्रीमती अंगूरी वेवा पतरे
3. मंगल पुत्र अज्जी
4. भगवान सिंह पुत्र दौजी
5. विष्णु पुत्र दौजी
6. विजय पुत्र दौजी

} जाति जाटव निवासी माडापुरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 22.01.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास प्रकरण संख्या 93/12 उनवानी कप्तान बनाम पतरे वगै0।

अभिभाषकगण :–

1. अभिभाषक अपीलाण्ट श्री भगवान सिंह उपस्थित ।
2. अभिभाषक रैस्पो0 श्री अतर सिंह कैन उपस्थित ।

निर्णय दिनांक :–26.07.2018

1. यह अपील इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 223 के तहत, उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय दिनांक 22.01.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 784 रकवा 05 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम माडापुरा तहसील रूपवास, अपीलाण्ट/वादीगण के पिता स्व0 सकटूआ पुत्र सुखलाल जाति जाटव निवासी माडापुरा के कब्जे काश्त व खातेदारी की छोडी हुई आराजी है, जो कि सरकार से पट्टे से प्राप्त हुई थी। वाई आपरेशन ऑफ लॉ विवादित भूमि स्वतः ही कानूनन अपीलाण्ट/वादीगण के पिता सकटूआ को हकूक खातेदारी काश्तकारी के प्राप्त हो गये हैं। सकटूआ का निधन हो गया है एवं उनके मरणोपरान्त अपीलाण्ट/वादीगण विवादित आराजी पर वहैसियत खातेदार काश्तकार काश्त करते चले आ रहे हैं। रैस्पो0/प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। परन्तु रैस्पो0/प्रतिवादीगण ने पटवारी हल्का से साज कर, अपीलाण्ट/वादीगण की लाइल्मी में चुपचाप गोपनीया तरीके से बिना कोई नोटिस दिये अपने हक में इन्द्राज खातेदारी दर्ज करा लिये हैं, जो खिलाफ मौका व कानून हैं। उक्त गलत इन्द्राजों के आधार पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रैस्पो0/प्रतिवादीगण विवादित आराजी से अपीलाण्ट/वादीगण को बेदखल करना चाहते हैं। अगर रैस्पो0/प्रतिवादीगण अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाब हो गये तो अपीलाण्ट/वादीगण को अपरमित क्षति होगी। अतः वाद प्रस्तुत कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून होने के कारण काबिल खारिजी है। विवादित भूमि का अपीलाण्ट के पिता सकटुआ को दिनांक 26.07.1961 को आवण्टन हुआ था तथा उसके आधार पर अपीलाण्ट का पिता गैर खातेदार दर्ज हो गया व आवंटन के समय से ही काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। नियमानुसार आवंटन की शर्तो का पालन किये जाने पर, आवंटन के 10 साल होने पर स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। पिता की मृत्यु के बाद अपीलाण्ट को विवादित आराजी विरासत में प्राप्त हुई है जिस पर ताहाल तक उनका कब्जा काश्त चला आ रहा है। रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं ना ही उनका कभी कब्जा ही रहा है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त बिन्दु पर ध्यान ना देते हुए अवैधानिक आधारों पर दावा अपीलाण्ट खारिज करने में त्रुटि की है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि पटवारी हल्का ने कब व कैसे व किस आधार पर अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि पर रैस्पो0 का कब्जा काश्त बता दिया इसका कोई स्पष्टीकरण निर्णय में नहीं दिया इसके अलावा अपीलाण्ट की खातेदारी की भूमि पर यदि रैस्पो0 के कब्जा का उदगम पटवारी ने और रैस्पो0 ने नहीं बताया है। विवादित भूमि सिवायचक अनओक्यूपाईड काबिल आवंटन/नियमन नहीं थी तो सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने रैस्पो0 का कब्जा काश्त राजस्व अभिलेख एवं मौके के खिलाफ रैस्पो0 से मिल्लत पूर्ण पटवारी की रिपोर्ट पर गलत माना है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जबावी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित आराजी पर अपीलाण्ट अथवा उनके पिता का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है एवं ना ही उनके पिता को विवादित आराजी का कभी आवंटन/नियमन ही हुआ है। विवादित आराजी पर रैस्पो0 के पिता का कब्जा काश्त होने के कारण दिनांक 30.12.1970 को आवंटन सलाहकार समिति ने उनके हक में विवादित आराजी का आवंटन किया गया एवं नामान्तकरण भी दिनांक 10.06.1971 को रैस्पो0 के पिता दौजी पुत्र अब्बी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है। रैस्पो0 के अलावा आज तक अपीलाण्ट अथवा किसी अन्य दीगर व्यक्ति का कब्जा काश्त नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि अनुरूप सही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु चार तनकियॉ कायम की गयी हैं। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

6. <u>तनकी संख्या 01</u> **"आया वादीगण वादपत्र की खण्ड संख्या 01 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 784 रकवा 05 बीघा 17 विस्वा वाके ग्राम माडापुरा, वादीगण के पिता सकटूआ पुत्र सुखलाल जाति जाटव निवासी माडापुरा के कब्जे काश्त व खातेदारी की छोडी हुई है जो कि उसको**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सरकार द्वारा पट्टे से प्राप्त हुई थी" इस तनकी को साबित करने का दायित्व अपीलाण्ट/वादीगण पर था। अपीलाण्ट/वादी विवादित भूमि का आवंटन अपने पिता सकटुआ को होना बताते हुए, राजस्व अभिलेख में विवादित आराजी पर बतौर गैर खातेदार का नामान्तकरण दर्ज होना कथन करते हैं। परन्तु इस कथन के समर्थन में अपीलाण्ट/वादी ने कथित आवंटन हेतु सकटुआ के प्रार्थना पत्र पर आवंटन कमेटी की अनुशंसा का पृष्ठांकन मात्र ही प्रस्तुत किया गया है। आवंटन आदेश की पालना में जारी सनद, कब्जा सौंपने का पत्र, पट्टा एवं सिवायचक से सकटुआ का नाम दर्ज होने बाबत् नामान्तकरण आदि प्रस्तुत नहीं हुए हैं; इन दस्तावेजो के अभाव में अपीलाण्ट/वादी का गैरखातेदार अंकन प्रमाणिक नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नकल नामान्तकरण संख्या 330 से भी अपीलाण्ट/वादी का कब्जा संदेहस्पद रहता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही, तनकी विरूद्ध अपीलाण्ट/वादी तय की है।

7. <u>तनकी संख्या 02 व 03</u>, तनकी संख्या 01 के निर्णय से प्रभावित हैं। चूंकि तनकी संख्या 01 अपीलांट/वादी के विरूद्ध पायी गयी है। अतः इन तनकी बाबत् विवेचना किया जाना प्रासंगिक नहीं है।

8. <u>तनकी संख्या 04,</u> **" आया उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 784 रकवा 05 बीघा 17 विस्वा पर वादीगण के पिता का कभी भी किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं रहा है। ऐलोटमेण्ट सलाहकार समिति द्वारा व तत्कालीन हल्का पटवारी ने मौके पर वादीगण के पिता का कोई कब्जा काश्त नहीं पाया गया तथा प्रतिवादी के पिता दौजीराम पुत्र अब्बी का कब्जा काश्त होने से दिनांक 30.12.1970 को उक्त आराजी का आवंटन, सलाहकार समिति ने प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड कर दिया"** यह तनकी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने वहक प्रतिवादी तय की है। सम्यक विवेचना करने पर हम पाते हैं, इस तनकी के दो हिस्से हैं :–

   (अ) **आया उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 784 रकवा 05 बीघा 17 विस्वा पर वादीगण के पिता का कभी भी किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं रहा है। ऐलोटमेण्ट सलाहकार समिति द्वारा व तत्कालीन हल्का पटवारी ने मौके पर वादीगण के पिता का कोई कब्जा काश्त नहीं पाया गया,** जैसा कि तनकी संख्या 01 की विवेचना में स्पष्ट हो चुका है कि अपीलाण्ट/वादी अपने कथित कब्जे काश्त को साबित नहीं कर पाये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही, निसन्देह वहक प्रतिवादी तय की है। किन्तु इस तनकी का दूसरा हिस्सा निम्नानुसार है :–

   (ब) **प्रतिवादी के पिता दौजीराम पुत्र अब्बी का कब्जा काश्त होने से दिनांक 30.12.1970 को उक्त आराजी का आवंटन, सलाहकार समिति ने प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड कर दिया"** अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर विवादित भूमि में रैस्पो0/प्रतिवादी के हक स्पष्ट करने वाला कोई दस्तावेज नहीं हैं। प्रश्नगत आराजी का रैस्पो0/प्रतिवादी के पक्ष में हुए आवंण्टन, पूर्व में अपीलाण्ट/वादी के पक्ष में हुए आवंटन, निरस्तीकरण कार्यवाही आदेश आदि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं। नामान्तकरण संख्या 330 से सकटुआ की बजाय रैस्पो0 दयाजी, पतरे, मंगल वगै0 का नाम अंकित किया है, जो हुकमन तहसील दिनांक 11.02.71 बताया गया है, परन्तु इस कथित हुक्म दिनांक 11.02.71 का कोई विवरण नहीं है। अतः रैस्पो0/प्रतिवादीगण के पक्ष में हो रहे अंकन भी शंकास्पद है। इस तनकी को रैस्पो0/प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित करना वर्तमान स्थिति में परिपक्व नहीं है, और परीक्षण की आवश्यक्ता है।

9. उपरोक्तानुसार तनकियों की विवेचना से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट/वादी अपने पक्ष में वाद सिद्ध करने में सफल नहीं हो सका है, अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है परन्तु तनकी संख्या 04 की विवेचनानुसार तहसीलदार द्वारा परीक्षण वांछनीय है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

10. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास के आदेश दिनांक 22.01.2018 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार रूपवास को भेजी जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णय की विवेचना अनुसार जॉच कर नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करें। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

11. निर्णय आज दिनांक 26.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प बयाना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official